भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 149

उत्तर देने की तारीख 19जुलाई, 2021

सोमवार, 28आषाढ़,1943(शक)

कौशल भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण

†149 श्री चुन्नीलाल साहू:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल भारत मिशन के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रशिक्षित किए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें विगत दो वर्षों के दौरान रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का रोजगार पाने में विफल रहे लोगों के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) सरकार कौशल भारत मिशन के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए 20 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में 40 से अधिक कौशल विकास स्कीम/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनमें 556.1 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल भारत मिशन के तत्वावधान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है-

कार्यक्रम	**उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2015-16 के दौरान अब तक प्रशिक्षित व्यक्ति [संख्या लाख में)**
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 1.0 और 2.0	126.82
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा शुल्क आधारित प्रशिक्षण	117.39
राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)	10.73
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)	15.10
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) {राज्य सरकार और निजी आईटीआई के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण	64.01
योग	**334.1**

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई और एनएपीएस के अंतर्गत 10,49,621 उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है जबकि जेएसएस में किसी अनिवार्य रोजगार का प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार, मंत्रालय आईटीआई से उत्तीर्ण छात्रों के रोजगार की निगरानी नहीं करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित क्रमश:प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) जैसी स्कीमों पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। एमएसडीई की पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम के तहत, प्रशिक्षण केंद्र उद्योगों और परिषद के सहयोग से रोजगारमेला, युवा संपर्क और आत्मानिर्भर कुशल कर्मचारी नियोजक मैपिंग(असीम)पोर्टल जैसी कई पहलों के माध्यम से प्रमाणित उम्मीदवारों के नियोजन को सुगम बनाने के लिए सभी प्रयास करते हैं। पीएमकेवीवाई 3.0 में स्कीम के एसटीटी घटक के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों को मजदूरी रोजगार/स्व-रोजगार/शिक्षुता की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशलकेंद्र स्वरोजगार सहायता प्रदान करने के लिए जिलों में नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। प्रशिक्षण साझेदार स्थान और शिक्षुता के लिए टीपी/डीएससी/एसएसडीएम/ एसएससी द्वारा जिला और क्षेत्रीय स्तर पर नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों के अलावा उम्मीदवारों के नियोजन के लिए डीएससी/एसएसडीएम के साथ मिलकर काम करेगा। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत प्रमाणित सभी उम्मीदवारों को जॉब के अवसर खोजने के लिए असीम पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा।

****